न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 84/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. सत्यनारायण पुत्र रामलाल 2. पारीदेवी पत्नि रामलाल जातियान माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत 3. रामकिशन उर्फ किशनलाल पुत्र बादरराम 4. बादरराम पुत्र छैलाराम 5. चिमुड़ी पुत्री बादर राम पत्नी मोहनलाल जातियान घांची निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला—पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. रमेश टांक अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।

2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 18/04/22

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2726 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2727 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2753 रकबा 0.3400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2754 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2755 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल खसरा 06 कुल रकबा 2.4200 हैक्टर स्थित है, वादीगण ने उक्त कृषि भूमि जरिए रजिस्टर्ड बेचान हीरालाल, मन्शाराम, शंकरलाल, चुन्नीलाल, भग्गाराम, तुलसीराम पिसरान जस्साराम जाति श्री गौड ब्राह्मण निवासीगण सोजत सिटी से दिनांक 09.11.1981 को खरीद की तथा उक्त कृषि भूमि का कब्जा भी प्राप्त किया। खातेदार मूलकी पत्नी बादरराम की मृत्यु हो चुकी है जिससे मुलकी के काश्म मुकाम वारिसान वादी संख्या 3 से 5 हैं। उक्त वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 से 5 का 1/2 हक हिस्सा है। बैचाण रजिस्ट्री के पूर्व सैटलमेंट की कार्यवाही चल रही थी। दौराने सैटलमेन्ट खसरा नम्बर 2746 का रकबा सैटलमेन्ट द्वारा सेवन से गलत दर्ज कर दिया। सैटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 2746 के पुराना खसरा नम्बर 166/07 रकबा पौने तीन बीघा तीन बिस्वा खातेदारी में दर्ज था। जमाबन्दी सम्वत् 2018 की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। खसरा संख्या 166/7 रकबा पौने तीन बीघा तीन बीसवा के नये खसरा नम्बर 2746 बने है। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति भी साथ प्रस्तुत है। वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि क्रय करते समय पूर्व खातेदारान द्वारा खसरा नम्बर 2746 के रकबा के सम्बन्ध में यह कहा कि सेटलमेन्ट में उक्त खसरे का रकबा कम दर्ज कर दिया है। जबकि मौके पर पुराने रकबे अनुसार ही उक्त खसरा का क्षेत्रफल है। इस सम्बन्ध में पूर्व खातेदारान द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में हवाला दर्ज किया है। मौके पर उक्त खसरा संख्या 2746 का रकबा पूर्व खसरा संख्या 166/7 रकबा पौने तीन बीघा तीन बीसवा अनुसार ही विद्यमान है। जिस पर वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 से 5 का 1/2 हिस्सा है । वादीगण अपने हिस्से अनुसार उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। पुराने खसरा संख्या 166/7 रकबा पौने तीन बीघा तीन बीसवा अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 2746 का रकबा 0.4800

उपखण्ड अधिकारी सोजत

हैक्टर होना चाहिए तथा मौके पर भी खसरा संख्या 2746 का रकबा 0.4800 हैक्टर होना चाहिए । मौके पर भी खसरा नम्बर 2746 का रकबा 0.4800 हैक्टर है। किन्तु सेवन से सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 2746 का रकबा 0.2400 हैक्टर ही दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त कर खसरा संख्या 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.4800 हैक्टर दर्ज किया जाकर घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त कृषि भूमि मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होने से श्रीमान को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अधिवक्ताग मय वादीगण ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक़ वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जावे की वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 2726 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2727 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2753 रकबा 0.3400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2754 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2755 रकबा 0.6200 हैक्टर में से खसरा 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.4800 हैक्टर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादीगण ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरक़ार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित तथ्यों को कानूनी दर्शाते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वयं सिद्ध किए जाने के तथ्य अंकित किये है।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाबदावा अनुसार तनकियात कामय की गई कि –

आया वादी की मौजा सोजत चक संख्या 01 में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.4800 हैक्टर की वादी खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है–

जिम्मे वादी––

आया वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2746 के पुराने खसरा नम्बर 166/7 थे जिसका रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा था अर्थात 0.4800 हैक्टर ही होता है जिससे राजस्व रेकर्ड में रकबा दुरूस्ती करवानेके भी अधिकारी है।

जिम्मे वादी ––

अनुतोषः:–

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पी.डब्ल्यू सत्यनारायण वादी स्वयं तथा पी. डब्ल्यू 2 रामाकिशन उर्फ किशनलाल के बयान कलमबद्ध करवाये गये। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में फहरिस्त के साथ दस्तावेज व मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हे प्रदर्शित करवाया गया जिसके अनुसार असल बैचान रजिस्ट्री प्रदर्श–1 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श –1 ए, जमाबन्दी सम्वत् 2018 – 21 प्रमाणित प्रति प्रदर्श –2, मिलान खसरा क्षैत्रफल प्रदर्श–3, वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श –4, रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पूर्व में की गई कार्यवाही प्रदर्श –05, मोमी ट्रेस नक्शा शीट प्रदर्श –6 असल पर्चा लगान प्रदर्श–07 व जिसकी फोटो प्रतिप्रदर्श 07ए है। जिरह प्रतिवादी शुन्य रही । शहादत प्रतिवादी हेतु प्रर्याप्त अवसर दियेजाने पर भी पेश नही करने से शहादत प्रतिवादी का अवसर समाप्त कर शहदातप्रति वादी बन्द की गई।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि वादीगण की कृषि भूमि रकबा 2746 रकबा 0.48

हैक्टर पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 166/7 का रकबा 03 बीघा बिस्वा था किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 2746 दिये जाकर रकबा 0.24 अंकित कर दिया गया। वादीगण द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई है। विक्रय पंजीबद्ध दस्तावेज में भी बैचार 0.48 हैक्टर का किया गया है। तथा सेटलमेन्ट में हुई त्रुटि काउल्लेख भी किया गया है। वादीगण सेटलमेन्ट से पूर्व दर्ज रकबा अनुसार 0.24 के स्थान पर 0.48 हैक्टर भूमि की खातेदारी घोषणा की जाने की जाने की ईतदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई प्रतिरोधात्मक कोई टिप्पणी नही की है।

प्रकरण में कायम की गई तनकी को निम्नानुसार विवेचित किया जाता है–

तनकी संख्या 01::– आया वादी वादी की मौजा सोजत चक संख्या 01 में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.2400 हैक्टर के स्थान पर रकबा 0.4800 हैक्टर की वादी खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है–

जिम्मे वादी––

अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत जमाबन्दी सम्वत् 2018 – 21 प्रमाणित प्रति प्रदर्श –2 में छोगा पुत्र आसा, जसा पुत्र नेमा, लछा पुत्र सुजा, पूनम पुत्र भीका सावल पुत्र रूगा, गीसा पुत्र भुरा कौम वीरामण सा. देह दर्ज है। इस जमाबन्दी में खसरा नम्बर 166/7 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा दर्ज सुदा है। खसरा मिलान प्रदर्श प्रदर्श –3 में गत खसरा नम्बर 166/7 के नये खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.24 खातेदार हीरालाल वगैरह दर्ज शुदा है । इससे स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 2746 के गत खसरा नम्बर 166/7 थे जिसका रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान रकबा 0.24 हैक्टर दर्ज कर दिया गया। खसरा मिलान प्रदर्श –03 अनुसार खातेदार हीरालाल मंसाराम चुनीलाल भगाराम तुलसीराम पि. जसाराम कौम गोड ब्राहम्ण सा0देहखातेदार दर्ज थे। इन्ही खातेदारो द्वारा जरिये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 09.11.1981 (प्रदर्श –1) से खसरा नम्बर 2726, 2727, 2746,2753, 2754, 2755 कुल खसरा 06 जिसका कुल रकबा 2.66 हैक्टर की भूमि का बेचान वादी संख्या 01 व 02 के पक्ष मे निष्पादित करवाया गया। उक्त बैचान दस्तावेज मे भी बैचान के दौरान खसरा नम्बर 2746 की भूमि का रकबा 0.48 हैक्टर के स्थान पर सेवन से 0.24 हैक्टर दर्ज होने का उल्लेख है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा जरिये बैचान रजिस्ट्री खरिद की गई कृषि भूमि का रकबा दौराने सैटमेन्ट वास्तविक रकबा 0.4640 हैक्टर के स्थान पर गलत रूप से रकबा 0.24 हैक्टर दर्ज हो गया जो बाद में पश्चातवृति जमाबन्दी में यथावत दर्ज होता रहा है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 02::– आया वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2746 के पुराने खसरा नम्बर 166/7 थे जिसका रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा था अर्थात 0.4800 हैक्टर ही होता है जिससे राजस्व रेकर्ड में रकबा दुरूस्ती करवानेके भी अधिकारी है।

जिम्मे वादी––

अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत खसरा मिलान प्रदर्श प्रदर्श –3 में गत खसरा नम्बर 166/7 के नये खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.24 खातेदार हीरालाल वगैरह दर्ज शुदा है। इससे स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 2746 के गत खसरा नम्बर 166/7 थे जिसका रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा नही होकर 02 बीघा 18 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान रकबा 0.24 हैक्टर दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

कर दिया गया। वस्तुतः तनकी संख्या 02 आंशित बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कायम की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद – पत्र ज0दा0 एवं दस्तावेजात साक्ष्य सबूत के शपथ पत्र एवं बयानात का गहनता पूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन / विश्लेषण प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत फहरिस्त मय दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि वादी संख्या 01 व 02 द्वारा सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के वर्तमान खसरा नम्बर 2746 रकबा 0.24 हैक्टर की भूमि जरिये बैचान रजिस्ट्री प्रदर्श– 01 के जरिये तत्कालीन खातेदार हीरालाल मसाराम चुनीलाल भगाराम तुलसीराम पि. जसाराम कौम गोड ब्राहम्ण से कय की गई। पंजीयन दस्तावेज में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि खरीद की गई कृषि भूमि खसरा नम्बर 2746 का रकबा दौराने सैटमेन्ट वास्तविक रकबा 0.4650 हैक्टर के स्थान पर गलत रूप से रकबा 0.24 हैक्टर दर्ज हो गया, प्रस्तुत दस्तावेज खसरा मिलान प्रदर्श–3 के अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2018 – 21 प्रमाणित प्रति प्रदर्श –2 से भी यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 2746 के गत खसरा नम्बर 166/7 का कुल रकबा 0.4640 हैक्टर था। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत व कायम की गई तनकी संख्या 01 व 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय होने से वादी का वाद आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना तथा खसरा नम्बर 2746 का वर्तमान में में गलत दर्ज रकबा 0.2400 हैक्टर के स्थान पर 0.4640 हैक्टर दुरूस्त रूप से दर्ज करवाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादीगण का प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी की जाती है कि संरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 2746 के रकबा 0.24 के स्थान पर वादीगण को माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज एवं जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2021 के अनुसार रकबा 0.4640 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चापृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।पत्रावली फैशन शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड आर.ए.एस.

वादीगण

1. सत्यनारायण पुत्र रामलाल
2. पारीदेवी पत्नि रामलाल जातियान माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत
3. रामकिशन उर्फ किशनलाल पुत्र बादरराम
4. बादरराम पुत्र छैलाराम
5. चिमुड़ी पुत्री बादर राम पत्नी मोहनलाल जातियान घांची निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादी

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 84 / 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री ताराचंद टांक तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि संरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 2746 के रकबा 0.24 के स्थान पर वादीगण को माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज एवं जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2021 के अनुसार रकबा 0.4640 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें।पत्रावली फैशन शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.04.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.